न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी राजेश सुवालका (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/35/2022

दायर दिनांक 08.04.2022

उनवान

1. नारायण लाल पिता गणेश जाट आयु वयस्क निवासी तुरक्याखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।

बनाम ——प्रार्थीगण

1. नारायण लाल पिता रूपा गाडरी आयु वयस्क निवासी तुरक्याखुर्द तहसील कपासन ।
2. मृतक प्रथा पिता भुरा जाति गाडरी के बजाय –
   2/1– माधु लाल पिता प्रथा जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी तुरक्याखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
3. गंगादेवी पत्नि रामेश्वर लाल जाति सुथार आयु वयस्क निवासी तुरक्याखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
4. तहसीलदार, तहसील कपासन।
5. उपपंजीयक, उपपंजीयक कार्यालय कपासन।
6. पटवारी पटवार हल्का तुरक्याखुर्द तहसील कपासन।

——अप्रार्थीगण

—: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट0 :—

निर्णय दिनांकः 20.12.2024

—: निर्णय :—

वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 रा०टि0एक्ट के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम मोतीखेड़ा पटवार हल्का हिंगोरिया तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में हाल आराजी नम्बर 15 रकबा 0.42 हैक्ट0, आराजी नम्बर 16 रकबा 0.32 हैक्ट0, आराजी नम्बर 17 रकबा 0.45 हैक्ट0, स्थित है। जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में अप्रार्थी संख्या 1 से 3 तक के खातेदारी में दर्ज है।

यह कि उक्त वादग्रस्त आराजियात के साबिक आराजी नम्बर 11 रकबा 5 बिघा 10 बिस्वा स्थित थे जिसके हाल आराजी नम्बर 15, 16, 17 कुल किता 3 कुल रकबा 1.19 हैक्ट0 बने है ।

यह कि उक्त साबिक आराजी नम्बर 11 रकबा 5 बिघा 10 बिस्वा संवत् 2016 में खातेदार सवाईराम, भूरा पिता सोला गाडरी व नारायण पिता रूपा गाडरी के संयुक्त खातेदारी में हिस्सा बराबर में दर्ज थी, सवाईराम, भूरा, रूपा तीनों सगे भाई थे । और रूपा की मृत्यु हो जाने से उसके पुत्र नारायण अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई थी । तथा संवत् 2018 से 2021 की जमाबन्दी रोटेशन में भूलवश नारायण पिता रूपा गाडरी का नाम अंकित होने से रह गया था व उक्त आराजी केवल सवाईराम, भूरा के नाम पर ही दर्ज कर दी गई थी। तथा सवाईराम व भूरा दोनो की मृत्यु हो गई थी व उनके वारीसों से सवाईराम का पुत्र डालू था। और डालू की भी मृत्यु हो गई व उसका वारिस शंकर था। तथा भूरा की भी मृत्यु हो गई उसका वारिस प्रथा था। इस प्रकार मृत्तक सवाईराम, भूरा के बजाय जमाबन्दी संवत् 2065 से 2068 तक में उनके वारीस शंकर व प्रथा के नाम पर उक्त जमीन दर्ज थी । तथा प्रतिवादीगण का सजरा प्रस्तुत किया।

यह कि उसके पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1 नारायण लाल ने अपना हिस्सा दर्ज कराने के लिये दिनांक 8/5/2009 को ईश्तकरार हक एवं इन्द्राज दुरस्ती का दावा न्यायालय आपमें पेश किया जिसके मुकदमा नम्बर 159/2009 रे० वाद दर्ज होकर न्यायालय आप द्वारा निर्णय दिनांक 26/4/2012

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी),
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

नारायण लाल गाडरी का वाद खारिज कर दिया गया था जिसकी अपील माननीय राजस्व अधिकारी महोदय के यहां पर की गई जिसके अपील सं0 250/2012 होकर निर्णय दिनांक 6/2014 को हुआ था । और नारायण पिता रूपा गाडरी की अपील स्वीकार होकर उसके उक्त आराजी नम्बर 15, 16, 17 का 1/3 हिस्सा का खातेदार घोपित किये जाने का आदेश हुआ था।

यह कि दौरान अपील खातेदार प्रथा पिता भूरा गाडरी ने इस वादपत्र के प्रार्थी नारायण लाल पिता गणेश जी जाट को मुकदमा की कोई जानकारी दिये बिना राजस्व रेकार्ड में उसका जो 1/2 हिस्सा दर्ज था उसमें से 1/3 हिस्सा मुझ वादी नारायण लाल पिता गणेश जी जाट को दिनांक 24/11/2014 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र आराजी नम्बर 15, 16, 17 में से हिस्सा विक्रय कर दिया था तथा जरिये इन्तकाल नं. 194 दिनांक 16/1/2015 को वादग्रस्त आराजी नम्बर 15, 16, 17 कुल किता 3 कुल रकबा 1.19 हैक्ट0 में से 1/3 हिस्सा का खातेदार दर्ज हो चुका था।

यह कि इस प्रकार संवत् 2069 से 2072 की जमावन्दी में गंगादेवी पत्नि रामेश्वर सुथार 1/3 हिस्सा, नारायण लाल पिता गणेश लाल जाट 1/3 हिस्सा, शंकर लाल पिता डालु 1/6 हिस्सा, प्रथा पिता भुरा गाडरी 1/6 हिस्सा दर्ज हुआ था।

यह कि अपीलान्ट नारायण लाल पिता रूपा गाडरी ने उक्त अपील के अनुसार न्यायालय आपमें मुकदमा नम्बर 4/2017 हकरसी की कार्यवाही कराई जिससे ई. नं. 261 दिनांक 2/11/2018 को नामान्तरण खोला गया जिसमें खातेदार शंकर लाल पिता डालु गाडरी 1/6 हिस्सा एवं प्रथा पिता भूरा गाडरी 1/6 हिस्सा जो दर्ज था वो हिस्सा नारायण लाल पिता रूपा गांडरी के दर्ज करना चाहिये था और उनका नाम राजस्व रेकार्ड से हटाना चाहिये था जो ऐसा नहीं करके इस प्रार्थनापत्र के वादी नारायण पिता गणेश लाल जी जाट का नाम राजस्व रेकार्ड से हटा दिया गया है जो गलत है जबकि मौके पर वादी नारायण लाल जाट अपने 1/3 हिस्सा पर आराजी का 1/3 हिस्सा क्रय करने से आज दिन तक शांतिपूर्वक कब्जा में है। तथा 1/3 हिस्सा पर प्रतिवादी सं. 1 नारायण लाल गाडरी काबीज है तथा 1/3 हिस्सा पर गंगा देवी काबीज है तथा इस प्रकार तीनों अपने अपने हिस्सा पर काबीज होकर काश्त कर रहे है।

यह कि राजस्व रेकार्ड में वर्तमान में प्रथा पिता भुरा गाडरी का 1/3 हिस्सा जो दर्ज है वह गलत है। उसके बजाय वादी नारायण लाल पिता गणेश लाल जाट को खातेदार घोषित कराया जाना आवश्यक है तथा खातेदार प्रथा पिता भुरा गाडरी का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जाना आवश्यक है। तथा खातेदार प्रथा की मृत्यु हो चुकी है जिससे प्रतिवादी संख्या 2/1 के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की जारी कराया जाना आवश्यक है कि वो उक्त आराजी का नामान्तरणकरण अपने नाम पर नहीं खुलावें तथा आराजी को किसी प्रकार से रहन, बह बक्षीस वसीयत नहीं करें तथा किसी अन्य प्रकार से भी खुर्द बुर्द नहीं करें। तथा वादी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार से बाधा पैदा नही करें तथा प्रतिवादी संख्या 4,5,6 उक्त आराजी का किसी प्रकार से कोई दस्तावेज पंजीयन नहीं करें नामान्तरणकरण नहीं खोलें और तस्दीक नहीं करें। ऐसा न प्रतिवादीगण करें न अपने नौकर एजेन्ट आदि से करावें।

यह कि यदि प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो उनको कोई नुकसान नही है और जारी नही की जाती है तो वादी को बेशुमार नुकसान होगा।

यह कि वादी ने सन् 2021 में जब अपनी आराजी पर ऋण प्राप्त करने के लिये नकल जमाबन्दी देखी तो पता चला कि उक्त वादग्रस्त आराजियात वादी के खातेदारी मे ही दर्ज नहीं है तो फिर वादी ने दस्तावेजात की नकलें प्राप्त की तो दिनांक 21/8/2021 को रेकार्ड प्राप्त करने से उक्त सारी घटना क्रम की जानकारी हुई जिससे बिनाय प्रार्थनापत्र पैदा हुई एवं उसके पश्चात् निरन्तर पैदा हो रही है।

अन्त में निवेदन किया कि बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय की डिक्री फरमाई जावें कि वादपत्र की कॉलम संख्या 1 में वर्णित ग्राम मोतीखेडा की हाल आराजी नम्बर 15, 16, 17 कुल किता 03 कुल रकबा 1.19 हैक्ट0 मे से 1/3 हिस्सा में खातेदार प्रथा पिता भुरा गाडरी का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जाकर वादी के खातेदारी में दर्ज कराये जाने की डिक्री बक्षाई जावें।

—वहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बक्षाई जावें की उक्त आराजीयात के 1/3 हिस्सा को किसी प्रकार से रहन,बह, बक्षीस, वसीयत नही करे खुर्द बुर्द नही करे तथा

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

न्तरकरण किसी अन्य के पक्ष में नही खोले, तस्दीक नही करें तथा कोई दस्तावेज पंजीयन नहीं ऐसा प्रतिवादीगण न स्वयं करे न अपने नौकर एजेन्ट आदि से करावें। तथा दौराने वाद यदि ऐसा कृत्य कर देवे तो वादी के मुकाबले प्रभावहीन घोषित कराये जाने की डिक्री बक्षाई जावें।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 2/1 व 3 बावजूद सूचना के हाजिर नही आने से दिनांक 29.11.2022 को एकतरफा कार्यवाही की गयी। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रस्तुत नही किये जाने से जवाब बन्द किया गया। तहसीलदार कपासन से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवायी गई जो शा0फा0 है। साक्ष्यवादी में वादी नारायण लाल का शपथ पत्र प्रस्तुत। वादी नारायण लाल ने वाद पत्र के साथ दस्तावेज प्रस्तुत किये जो प्रदर्श–1 जमाबन्दी नकल संवंत् 2074–77, प्रदर्श–2 निर्णय व डिक्री दिनांक 26.04.2012, प्रदर्श–3,4,5 नकल जमाबन्दी, तथा अन्य दस्तावेज प्रदर्श–6 से लगायत 12 है।

उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा सिधे बहस हेतु निवेदन किया जो स्वीकार किया जाकर बहस उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी गई। हमने सम्पूर्ण पत्रावली, दस्तावेज व प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया। तहसीलदार कपासन से प्राप्त कमिश्नर रिपोर्ट का अवलोकन किया। रिपोर्ट अनुसार जमाबन्दी संवंत् 2073–76 में विक्रय पत्र के नामान्तरण संख्या 194 स्वीकृत दिनांक 16.01.2015 द्वारा प्रथा पिता भूरा गाडरी ने अपने 1/2 हिस्से में से 1/3 हिस्सा क्रेता (वादी) नारायण लाल पिता गणेश जाति जाट सा0 तुर्कियाखुर्द के नाम स्वीकृत हुआ। उक्त वाद वर्णित आराजीयात के क्रम में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 159/2009 प्रस्तुत किया गया था जो दिनांक 26.04.2012 को खारिज हुआ, उक्त नामान्तरकरण की अपील माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ में हुई जिसके प्रकरण संख्या 250/2012 निर्णय दिनांक 06.06.2014 से स्वीकार होकर गंगादेवी पत्नी रामेश्वरलाल हिस्सा 1/3, नारायणलाल पुत्र रूपा हिस्सा 1/3 व प्रथा पुत्र भुरा हिस्सा 1/3 दर्ज किये जाने के आदेश की पालना में वाद वर्णित आराजीयात का नामान्तरण संख्या 261 दिनांक 17.11.2018 से स्वीकृत हुआ। जिससे राजस्व रेकार्ड में नारायणलाल पिता गणेश जाति जाट हिस्सा 1/3 से प्रथा पिता भूरा 1/3 गाडरी सा0 दर्ज हो गया। उक्त डिक्री से पूर्व ही प्रथा पिता भूरा द्वारा अपना 1/3 हिस्सा बेचान कर दिया गया जिसका नामान्तरण संख्या 194 दिनांक 16.01.2015 से स्वीकृत हुआ। अपीलान्ट नारायण लाल पिता रूपा जाति गाडरी द्वारा प्रथा के बजाय वादी नारायण लाल को पक्षकार नही बनाये जाने से डिक्री की पालना में नामान्तरण दर्ज हुआ। अन्त में तहसीलदार कपासन द्वारा अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट में प्रथा पिता भूरा जाति गाडरी सा0 तुर्कियाखुर्द के बजाय नारायणलाल पिता गणेश जाति जाट हिस्सा 1/3 सा0 तुर्कियाखुर्द किये जाने का निवेदन किया। प्रदर्श–12 विक्रय पत्र के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि वाद वर्णित आराजीयात में से अपना 1/3 हिस्सा प्रथा द्वारा वादी नारायणलाल को बेचान कर दिया गया है। अतः प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर होता है कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वक्त अपील सहवन से प्रथा के बजाय नारायणलाल वादी को पक्षकार नही बनाये जाने से उक्त त्रुटि हुई है, अतः वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रस्तुत दस्तावेजो व तहसीलदार कपासन से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर वाद पत्र स्वीकार किया जाकर यह निर्णय दिया जाता है कि ग्राम मोतीखेड़ा पटवार हल्का हिंगोरिया तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में हाल आराजी नम्बर 15 रकबा 0.42 हैक्ट0, आराजी नम्बर 16 रकबा 0.32 हैक्ट0, आराजी नम्बर 17 रकबा 0.45 हैक्ट0 में दर्ज प्रथा पिता भुरा हिस्सा 1/3 जाति गाडरी के बजाय नारायणलाल पिता गणेश जाति जाट हिस्सा 1/3 सा0 तुर्कियाखुर्द दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। शेष व रहन बदस्तुर रहे। तदनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कपासन
जिला-चित्तौड़गढ़

(राजेश सेवालका)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
उपखण्ड अधिकारी कपासन